



2025:AHC-LKO:22074

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले सं० - 1129 वर्ष 2026

सुरेश कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

हनुमान प्रसाद

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: उमेश चंद्र

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सुधाकर शुक्ला

न्यायालय सं०. - 5

**माननीय आलोक माथुर, न्यायमूर्ति**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उमेश चंद्र साथ ही प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा दाखिल करने वाले श्री विजय शंकर पांडे की दलीलें सुनी गईं, जिसे अधिवक्ता सुधाकर शुक्ला के साथ रिकॉर्ड पर लिया गया है।

2. यह विवाद व्यवहार न्यायालय (प्रवर खंड), गोंडा के न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा और प्रवर्तन के लिए विपक्षी द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध दाखिल किए गए मुकदमे से उत्पन्न हुआ है। उक्त मुकदमा वाद संख्या 349 वर्ष 2025 के रूप में पंजीकृत किया गया

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

था। उक्त वाद की कार्यवाही में विपक्षी को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके अनुपालन में याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ और 30.03.2016 को अपना वकालतनामा दाखिल किया। वकालतनामा दाखिल करने के उपरांत, उसने कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया और तदनुसार दिनांक 14.03.2022 के निर्णय और आदेश के द्वारा, वाद का निर्णय एकपक्षीय रूप से किया गया। विचारण न्यायालय ने वाद का निर्णय वाद-पत्र और प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिपक्षी ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि विवादित संपत्ति एक पैतृक संपत्ति थी और याचिकाकर्ता, एक पट्टीदार होने के नाते, को जुलाई 2012 में परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी, जहाँ उसने वादी को यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही उसका निर्माणाधीन आवास पूर्ण हो जाएगा, वह परिसर खाली कर देगा। वादी ने स्वयं की परीक्षा कराने के अतिरिक्त, जमुना और अवधेश कुमार का साक्ष्य प्रस्तुत किया, जो पी.डब्ल्यू. 2 और पी.डब्ल्यू. 3 के रूप में उपस्थित हुए। उपर्युक्त परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता उक्त परिसर में किरायेदार था, जिसे किराये पर दिया गया था और जिसका स्वामी प्रतिपक्षी था। आगे यह भी दर्ज है कि वर्ष 2015 में जब याचिकाकर्ता द्वारा उक्त परिसर को खाली करने का अनुरोध किया गया, तो उसने परिसर खाली करने से इनकार कर दिया इसके विपरीत, उसने वहाँ तोड़-फोड़ शुरू कर दी और एक नया निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया साथ ही, उसने उक्त संपत्ति के स्वामी के रूप में अपने अधिकार का दावा भी किया और तदनुसार, बेदखली और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दाखिल किया गया, जिसका निर्णय 14.03.2022 को पारित किया गया इस निर्णय में याचिकाकर्ता को उक्त परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया, और साथ ही उसे विपक्षी के कब्जे में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से भी रोक दिया गया। यह कि

विचारण न्यायालय के दिनांक 14.03.2022 के निर्णय और आदेश को निष्पादित करने अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हेतु एक निष्पादन आवेदन भी दाखिल किया गया था, जिसे इजराय सं०. 1/2022 के रूप में क्रमांकित किया गया था, और जो दिनांक 17.02.2025 को समाप्त हो गया।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे विचारण न्यायालय के 14.03.2022 के निर्णय और आदेश का ज्ञान नहीं था, और उसे इस निर्णय के बारे में केवल निष्पादन की कार्यवाही शुरू होने पर ही पता चला, जिसके अनुसार उसने एकपक्षीय फैसले को रद्द करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया। एकपक्षीय निर्णय को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा, 31.05.2025 को विलंब क्षमा के आवेदन के साथ, आवेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसने 30.03.2016 को कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिवक्ता नियुक्त करके वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद वह गुजरात में अपने काम पर चला गया और बाद में, उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और तत्पश्चात वह अपनी बेटी की शादी के लिए वापस आया और इसके बाद ही उसने एकपक्षीय आदेश को रद्द करवाने के लिए एक आवेदन दाखिल किया। विचारण न्यायालय ने विलंब क्षमा हेतु आवेदन स्वीकृत किया, किंतु 30.05.2025 के निर्णय व आदेश से सि.प्र.सं. के आदेश IX नियम XIII के अधीन उसके आवेदन को गुण-दोष के आधार पर, अस्वीकार कर दिया। विचारण न्यायालय ने आदेश IX नियम XIII के अंतर्गत याचिकाकर्ता के आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करते हुए यह राय दी कि याचिकाकर्ता को मुकदमे की कार्यवाही की पूरी जानकारी थी, इस हद तक कि, उन्होंने बाद में एक अधिवक्ता नियुक्त किया, जिसे कोरोना महामारी के कारण, वह उक्त मामले को आगे नहीं बढ़ा सके, लेकिन बाद में मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ी, जिसमें उन्होंने भाग नहीं लिया और उन्होंने यह बयान दिया है कि वह अस्वस्थ हो गए थे और बाद में अपनी बेटी के विवाह

के कारण मुकदमे की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सके। विचारण न्यायालय का सुविचारित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मत था कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों के संबंध में विशेषकर उसकी बीमारी के विषय में उसने अपनी बीमारी को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया था और परिणामस्वरूप, उसके द्वारा उठाए गए आधारों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था और तदनुसार, न्यायालय का सुविचारित मत था कि याचिकाकर्ता द्वारा आदेश IX नियम XIII सि.प्र.सं. के अंतर्गत आवेदन पर विचार करने हेतु कोई पर्याप्त कारण नहीं दर्शाया गया है और किसी भी संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में, ऐसे आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता था, और तदनुसार, उसे अस्वीकृत कर दिया गया। दिनांक 30.09.2025 के आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने जिला न्यायाधीश, गोंडा के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी। जिला न्यायाधीश, गोंडा ने भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार किया और पाया कि उसने अपनी बीमारी के संबंध में कोई भी दस्तावेज़/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया था कि उसे मुकदमे की कार्यवाही की जानकारी थी और इसमें भाग न लेने का कोई भी उचित कारण नहीं पाया गया और परिणामस्वरूप, दिनांक 09.01.2026 के आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया। वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 09.01.2026 के आदेश के साथ-साथ दिनांक 30.09.2025 के आदेश को भी चुनौती दी है।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अवर अदालत द्वारा बताए गए तथ्यों को दोहराया और प्रस्तुत किया कि उन्होंने 30.03.2016 को वाद की कार्यवाही चलाने के लिए एक अधिवक्ता के पक्ष में वकालतनामा निष्पादित किया था और बाद में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही एकपक्षीय आगे बढ़ी, अंततः 14.03.2022 को विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश का समापन हुआ। उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि अधिवक्ता ने उन्हें

विचारण न्यायालय की कार्यवाही के बारे में कभी सूचित नहीं किया और परिणामस्वरूप अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उन्होंने उपर्युक्त आदेशों को रद्द करने और उन्हें विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित बयान दाखिल करने का अवसर देने और याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल मुकदमे के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले एक अवसर देने के लिए प्रार्थना की।

5. अपनी दलील के समर्थन में, उन्होंने **द्वारिका प्रसाद बनाम पृथ्वी राज सिंह** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2024 को सिविल अपील सं०. 14830 वर्ष 2024 (एसएलपी (सी) सं०. 11259 वर्ष 2022 से उद्भूत) में निर्णय दिया गया था। उक्त निर्णय में यह प्रस्तुत किया गया है कि समान परिस्थितियों में जब विपक्षी ने वकालतनामा दिया था और बाद में कार्यवाही एकपक्षीय समाप्त हो गई थी, सर्वोच्च न्यायालय का यह विचार था कि केवल अधिवक्ता के न्यायालय में पेश न होने के कारण मुवक्किल को सज़ा नहीं दी जा सकती थी, और उपर्युक्त परिस्थितियों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया और विचारण न्यायालय को निर्देश दिया कि वह पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, मामले की कार्यवाही नए सिरे से शुरू करे।

6. विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता ने रिट याचिका का पुरज़ोर विरोध किया है। उन्होंने यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत मामले के तथ्य, द्वारिका प्रसाद के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा, विचार किए गए तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। यह दलील दी गई है कि वर्तमान मामले में, विपक्षी का यह मत है कि याचिकाकर्ता ने एक किरायेदार के तौर पर विवादित संपत्ति में प्रवेश किया था, लेकिन बाद में जब उसे विवादित संपत्ति को खाली करने को कहा गया, तो उसने विवादित संपत्ति पर मालिक के रूप में अपना अधिकार जता

दिया, जिससे विपक्षी के लिए बेदखली और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद दाखिल करना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवश्यक हो गया। उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि मुकदमे की कार्यवाही में याचिकाकर्ता ने भाग नहीं लिया और यहां तक कि एकपक्षीय आदेश को रद्द करने के उनके तर्कों को भी निचली अदालत ने नहीं माना है। यह निवेदन किया गया है कि वाद की कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ता को गवाहों से जिरह करने के कई अवसर दिए गए थे, परंतु याचिकाकर्ता ने न तो कोई लिखित बयान दाखिल किया और न ही किसी भी पक्ष से जिरह की।

7. उपर्युक्त परिस्थितियों में, यह निवेदन किया जाता है कि द्वारिका प्रसाद के निर्णय का लाभ याचिकाकर्ता को प्राप्त नहीं होगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त, उन्होंने यह निवेदन किया है कि द्वारिका प्रसाद के मामले में विलंब मात्र 05 माह का था, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा क्षमा कर दिया गया था, परंतु प्रस्तुत मामले में विलंब तीन वर्ष से अधिक का है और तदनुसार प्रस्तुत मामले के तथ्यों को द्वारिका प्रसाद के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता है।

8. मैंने पक्षों के विरोधी तर्कों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है। स्थायी व्यादेश और बेदखली का वाद, विपक्षी द्वारा, याचिकाकर्ता के विरुद्ध दाखिल किया गया था। विपक्षी के अनुसार, याचिकाकर्ता जुलाई 2012 में विवादित संपत्ति में एक किरायेदार की हैसियत से दाखिल हुआ था। याचिकाकर्ता के पक्ष में किरायेदारी सृजित करने का कारण यह तथ्य था कि याचिकाकर्ता विपक्षी का पट्टीदार था, और उसने निवेदन किया था कि वह पास में एक घर का निर्माण कर रहा है और उसे घर के निर्माण तक, थोड़े समय के लिए किराये की संपत्ति की आवश्यकता है। तत्पश्चात यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने उक्त भवन के एक भाग को ध्वस्त करना तथा नवीन निर्माण कार्य भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रारंभ कर दिया और विवादित संपत्ति के स्वामी के रूप में अपना अधिकार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया।

9. उपर्युक्त परिस्थितियों में, उसके विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा और बेदखली के लिए वाद दाखिल किया गया था। उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और एक वकालतनामा दाखिल किया गया। शुरुआत में मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने बाद में भाग नहीं लिया और न ही लिखित बयान दाखिल किया। उसने मुकदमे की कार्यवाही में भाग नहीं लिया, न ही कोई लिखित बयान प्रस्तुत किया। इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है कि वकालतनामा दाखिल करने के बावजूद, याचिकाकर्ता द्वारा वाद-पत्र में लगाए गए आरोपों का विरोध करते हुए लिखित बयान क्यों नहीं दाखिल किया जा सका। वाद की कार्यवाही पूरी होने तक भी, न तो कोई लिखित कथन प्रस्तुत किया गया और न ही याचिकाकर्ता ने वाद की कार्यवाही में हिस्सा लिया। निस्संदेह एक बार वकालतनामा निष्पादित हो जाने के बाद, गवाहों के समक्ष उपस्थित होने और उनसे जिरह करने की ज़िम्मेदारी याचिकाकर्ता के वकील पर आ जाती है। वकालतनामा के बाद मुकदमेबाजी में आगे भाग लेने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वादी को सतर्क रहना चाहिए और मुकदमे की कार्यवाही से पूरी तरह अवगत होना चाहिए, और उसे विचारण न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए और सबूतों के लिए तय तिथि पर उपस्थित होना चाहिए। प्रस्तुत मामले में, विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया है कि याचिकाकर्ता को जिरह करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने ऐसे किसी भी अवसर का लाभ नहीं उठाया और इन्हीं उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण, कार्यवाही एकपक्षीय रूप से समाप्त कर दी गई। तीन साल की विलंब, जिसके बारे में याचिकाकर्ता

ने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है, उसे भी स्वीकार्य नहीं पाया गया है, क्योंकि अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ता ने विलंब की माफी के लिए अपने आवेदन के समर्थन में कोई भी मेडिकल दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह पता चल सके कि वह किस बीमारी से पीड़ित था। यह तथ्य निर्धारित करना प्रासंगिक होगा कि क्या वह बीमारी इस प्रकृति की थी, जिससे याचिकाकर्ता गोंडा जाकर मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने से बाधित हो गया हो।

10. अतः, उपर्युक्त परिस्थितियों में, बीमारी का खुलासा करना अत्यंत प्रासंगिक था, जो याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया गया और विचारण न्यायालय के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने भी इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी बीमारी के संबंध में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया गया था, और तदनुसार, उसके तर्कों को अस्वीकार कर दिया है।

11. इस न्यायालय को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, जो यह दर्शाता हो कि मुकदमे की कार्यवाही के दौरान उसे कोई बीमारी हुई थी अतः याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया यह आधार विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता, जिससे कि उसकी इस अस्पष्ट दलील को स्वीकार किया जा सके। यदि याचिकाकर्ता ने इसका संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया होता, तो विलंब को क्षमा किया जा सकता था, वर्तमान मामले में, मैं आगे यह पाता हूँ कि याचिकाकर्ता द्वारा गोंडा न आने और मुकदमे की कार्यवाही में भाग न लेने के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और उसने केवल इतना कहा है कि वह अपने काम के सिलसिले में गुजरात गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. तदनुसार, इस न्यायालय को भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि विलंब उन कारणों से हुआ था जो याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर थे और न ही याचिकाकर्ता द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

13. उपर्युक्त कारण से, मुझे दिनांक 09.01.2026 के अपीलीय आदेश में, तथा साथ ही दीवानी न्यायाधीश के दिनांक 30.09.2025 के निर्णय और आदेश में कोई हस्तक्षेप करने का आधार नहीं मिलता है। यह रिट याचिका गुण-दोष रहित है और तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

[न्यायमूर्ति आलोक माथुर]

मार्च 30, 2026

मुक